



# सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 14 मार्च, 2024 ई०

फाल्गुन 24, 1945 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 107/XXXVI (3)/2024/14(1)/2024

देहरादून, 14 मार्च, 2024

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन मा० राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित ‘उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2024’ पर दिनांक 12 मार्च, 2024 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड राज्य का अधिनियम संख्या: 04, वर्ष- 2024 के रूप में सर्व-साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

अधिनियम, 2024

# उत्तराखण्ड विनियोग अधिनियम, 2024

(04, वर्ष 2024)

(अधिनियम संख्या 04, वर्ष 2024)

से 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिये से कतिपय धनराशियों के भुगतान करने के लिए—  
राज्य की संचित निधि से 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिये से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए—

अधिनियम

अधिनियम

के पचहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-  
भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

का संक्षिप्त नाम संक्षिप्त नाम विनियोग 1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड विनियोग अधिनियम, 2024 है।

की संचित निधि में से 2025 वर्ष के दौरान प्रयोजनों के लिए 2. उत्तराखण्ड राज्य की संचित निधि में से 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान अनुसूची के स्तम्भ- 2 में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए अनुसूची के स्तम्भ 3 में दी हुई धनराशियों, जिन सबका कुल योग रुपये 892300697000 (रुपये नवासी हजार दो सौ तीस करोड़ छः लाख सतानवे हजार मात्र) होता है, से अधिक न हो।  
उत्तराखण्ड की संचित निधि में से 2025 वर्ष के दौरान प्रयोजनों के लिए 2. उत्तराखण्ड राज्य की संचित निधि में से 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान अनुसूची के स्तम्भ- 2 में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए अनुसूची के स्तम्भ 3 में दी हुई धनराशियों, जिन सबका कुल योग रुपये 892300697000 (रुपये नवासी हजार दो सौ तीस करोड़ छः लाख सतानवे हजार मात्र) होता है, से अधिक न हो।

3. इस अधिनियम द्वारा उत्तराखण्ड की संचित निधि में से जिन धनराशियों को देने और काम में लाने का अधिकार दिया गया है उनका विनियोग 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा, जो अनुसूची में दिये गये हैं।  
उत्तराखण्ड की संचित निधि में से जिन धनराशियों को देने और काम में लाने का अधिकार दिया गया है उनका विनियोग 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा, जो अनुसूची में दिये गये हैं।

14	
15	
16	
17	
18	

अनुसूची  
(धारा 2 और 3 देखें)

(धनराशि हजार रुपये में)

अनुदान / क्रम संख्या	सेवाएँ और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक			
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग	
1	2	3			
01	विधान सभा	राजस्व :	1250403	45600	1296003
		पूँजी :	110001	0	110001
02	राज्यपाल	राजस्व :	0	166275	166275
03	मंत्री परिषद्	राजस्व :	618645	0	618645
		पूँजी :	500000	0	500000
04	न्याय प्रशासन	राजस्व :	3563282	920101	4483383
		पूँजी :	632500	0	632500
05	निर्वाचन	राजस्व :	2235414	0	2235414
		पूँजी :	2	0	2
06	राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	राजस्व :	23089617	64100	23153717
		पूँजी :	6005003	0	6005003
07	नित्त, कर, नियोजन, सचिवालय अन्य सेवाएँ	राजस्व :	135886038	69904435	205790473
		पूँजी :	28177011	191396303	219573314
08	आवकृति	राजस्व :	431918	0	431918
09	लोक सेवा आयोग	राजस्व :	141401	736600	878001
		पूँजी :	80000	0	80000
10	पुलिस एवं जेल	राजस्व :	26944391	0	26944391
		पूँजी :	1021100	0	1021100
11	शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति	राजस्व :	106563922	0	106563922
		पूँजी :	5884216	0	5884216
12	शिक्षिता एवं परिवार कल्याण	राजस्व :	39864598	0	39864598
		पूँजी :	1454923	0	1454923
13	जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास	राजस्व :	12067393	0	12067393
		पूँजी :	13586010	0	13586010
14	सूचना	राजस्व :	3737840	0	3737840
		पूँजी :	10000	0	10000
15	कल्याण सोलनार्थ	राजस्व :	25920768	0	25920768
		पूँजी :	1642589	0	1642589
16	श्रम और रोजगार	राजस्व :	3753715	0	3753715
		पूँजी :	770001	0	770001
17	कृषि कर्म एवं अनुसंधान	राजस्व :	6829118	0	6829118
		पूँजी :	3625005	0	3625005
18	सहकारिता				

अनुसूची  
(धारा 2 और 3 देखें)

(धनराशि हजार रुपये में)

अनुदान / क्रम संख्या	सेवाएँ और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक			
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित विधि पर भारित	योग	
1	2	3			
		राजस्व :	1418367	0	1418367
		पूँजी :	1000003	0	1000003
19	ग्राम्य विकास	राजस्व :	14114644	0	14114644
		पूँजी :	14987614	0	14987614
20	सिंचाई एवं बाढ़	राजस्व :	6236491	20000	6256491
		पूँजी :	15020002	0	15020002
21	ऊर्जा	राजस्व :	372851	0	372851
		पूँजी :	13374102	0	13374102
22	लोक निर्माण कार्य	राजस्व :	15655575	474000	16129575
		पूँजी :	14043000	0	14043000
23	उद्योग	राजस्व :	3691387	0	3691387
		पूँजी :	506001	0	506001
24	परिवहन	राजस्व :	2332113	0	2332113
		पूँजी :	2735006	0	2735006
25	खाद्य	राजस्व :	3316817	0	3316817
		पूँजी :	6130000	0	6130000
26	पर्यटन	राजस्व :	1830806	0	1830806
		पूँजी :	2077502	0	2077502
27	वन	राजस्व :	9374844	0	9374844
		पूँजी :	1236300	0	1236300
28	पशुपालन सम्बन्धी कार्य	राजस्व :	6485421	0	6485421
		पूँजी :	1430001	0	1430001
29	औद्योगिक विकास	राजस्व :	4440447	31736	4472183
		पूँजी :	1310000	0	1310000
30	अनुसूचित जातियों का कल्याण	राजस्व :	18061832	0	18061832
		पूँजी :	3784626	0	3784626
31	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	राजस्व :	5564831	0	5564831
		पूँजी :	1614140	0	1614140
	योग	राजस्व :	485794889	72362847	558157736
	योग	पूँजी :	142746658	191396303	334142961
	महा योग		628541547	263759150	892300697

आज्ञा से,  
धनंजय चतुर्वेदी,  
प्रमुख सचिव।

## उद्देश्य और कारण

भारत का संविधान के अनुच्छेद 204 इस बात की अपेक्षा करता है कि विधान सभा द्वारा अनुदानों की मांगें स्वीकृत किये जाने के बाद राज्य के विधान मण्डल में एक विनियोग विधेयक पुरःस्थापित किया जाय। राज्य द्वारा विविध व्यय चुकाने के निमित्त राज्य की संचित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था किया जाना आवश्यक है, अतः—

इस विधेयक में उत्तराखण्ड की संचित निधि में से 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुदानों तथा राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय के लिये अपेक्षित समस्त धनराशियों के विनियोग की व्यवस्था है।

प्रेम चन्द अग्रवाल  
वित्त मंत्री।

No. 107/XXXVI(3)/2024/14(1)/2024

Dated Dehradun, March 14, 2024NOTIFICATIONMiscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of 'The Appropriation Act, 2024' (Act No. 04 of 2024).

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 12<sup>th</sup> March, 2024.

**THE UTTARAKHAND APPROPRIATION ACT, 2024**

(Act No. 04 of 2024)

**An****Act**

*To authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the State for the year ending on thirty first day of March, 2025 -*

Be it enacted by the State Assembly in the Seventy Fifth Year of the Republic of India as follows:-

short title

1. This Act may be called the Uttarakhand Appropriation Act, 2024.

Issue of  
Rs. 892300697000  
out of the  
Consolidated Fund  
of Uttarakhand for  
the year 2024-25

2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Uttarakhand there may be paid and applied sums not exceeding those specified in Column-3 of the Schedule amounting in the aggregate to the sums of Rs 892300697000 (Rs. Eighty Nine thousand two hundred thirty Crore Six Lakh Ninty Seven Thousand only) towards defraying the several charges which will come in course of payment during the year ending on the thirty first day of March, 2025 in respect of the services and purposes specified in column 2 of the Schedule.

Appropriation

3. The sums authorized to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of Uttarakhand by this Act shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the year ending on the thirty first day of March, 2025.

SCHEDULE  
(See Section 2 and 3)

(Rs. in thousand)

Grant/ Serial No.	Service and Purpose	Sums not exceeding			
			Voted by the Legislative Assembly	Charged on Consolidated Fund of the State	Total
1	2	3			
01	Legislature	Revenue:	1250403	45600	1296003
		Capital:	110001	0	110001
02	Governor	Revenue:	0	166275	166275
03	Council of Ministers	Revenue:	618645	0	618645
		Capital:	500000	0	500000
04	Judicial Administration	Revenue:	3563282	920101	4483383
		Capital:	632500	0	632500
05	Election	Revenue:	2235414	0	2235414
		Capital:	2	0	2
06	Revenue and General Administration	Revenue:	23089617	64100	23153717
		Capital:	6005003	0	6005003
07	Finance, Taxes, Planning, Secretariat Miscellaneous Services	Revenue:	135886038	69904435	205790473
		Capital:	26177011	191396303	219573314
08	Excise	Revenue:	431918	0	431918
09	Public Service Commission	Revenue:	141401	736600	878001
		Capital:	80000	0	80000
10	Police and Jail	Revenue:	26944391	0	26944391
		Capital:	1021100	0	1021100
11	Education, Sports, Youth Welfare and Culture	Revenue:	106563922	0	106563922
		Capital:	5884216	0	5884216
12	Medical and Family Welfare	Revenue:	39864598	0	39864598
		Capital:	1454923	0	1454923
13	Water Supply, Housing and Urban Development	Revenue:	12067393	0	12067393
		Capital:	13586010	0	13586010
14	Information	Revenue:	3737840	0	3737840
		Capital:	10000	0	10000
15	Welfare Schemes	Revenue:	25920768	0	25920768
		Capital:	1642589	0	1642589
16	Labour and Employment	Revenue:	3753715	0	3753715
		Capital:	770001	0	770001
17	Crop Husbandry and Reseach	Revenue:	6829118	0	6829118
		Capital:	3625005	0	3625005
18	Co-operative				

SCHEDULE  
(See Section 2 and 3)

(Rs. In thousand)

Grant/ Serial No.	Service and Purpose	Sums not exceeding			
			Voted by the Legislative Assembly	Charged on Consolidated Fund of the State	Total
1	2	3			
		Revenue:	1418367	0	1418367
		Capital:	1000003	0	1000003
19	Rural Development	Revenue:	14114644	0	14114644
		Capital:	14987614	0	14987614
20	Irrigation and Flood	Revenue:	6236491	20000	6256491
		Capital:	15020002	0	15020002
21	Energy	Revenue:	372851	0	372851
		Capital:	13374102	0	13374102
22	Public Works	Revenue:	15655575	474000	16129575
		Capital:	14043000	0	14043000
23	Industries	Revenue:	3691387	0	3691387
		Capital:	506001	0	506001
24	Transport	Revenue:	2332113	0	2332113
		Capital:	2735006	0	2735006
25	Food	Revenue:	3316817	0	3316817
		Capital:	6130000	0	6130000
26	Tourism	Revenue:	1830806	0	1830806
		Capital:	2077502	0	2077502
27	Forest	Revenue:	9374844	0	9374844
		Capital:	1236300	0	1236300
28	Animal Husbandry	Revenue:	6485421	0	6485421
		Capital:	1430001	0	1430001
29	Horticulture Development	Revenue:	4440447	31736	4472183
		Capital:	1310000	0	1310000
30	Welfare of Scheduled Castes	Revenue:	18061832	0	18061832
		Capital:	3784626	0	3784626
31	Welfare of Scheduled Tribes	Revenue:	5564831	0	5564831
		Capital:	1614140	0	1614140
	<b>TOTAL</b>	Revenue:	485794889	72362847	558157736
	<b>TOTAL</b>	Capital:	142746658	191396303	334142961
	<b>GRAND TOTAL</b>		628541547	263759150	892300697

By Order,

DHANANJAY CHATURVEDI,

Principal Secretary.



**STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS**

Article 204 of the Constitution of India requires that an Appropriation Bill should be introduced in the State Legislative Assembly after the demands for grants have been voted by the Legislative Assembly, for incurring miscellaneous expenditure by the State from the Consolidated Fund of the State. A provision is necessary for authorizing the payment and appropriation of certain sums, therefore;

This Bill provides for the appropriation from and out of the Consolidated Fund of Uttarakhand of all moneys required to meet the Grants made by the Uttarakhand Legislative Assembly and the expenditure charged on the Consolidated Fund of the State in respect of the year ending on the thirty first day of March, 2025.

**Prem Chand Aggrawal**  
Finance Minister

